

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी:- हबीब पुत्र इस्माईल जाति गद्दी मुसलमान निवासी रसूलपुरा तहसील मलारना डूंगर


बनाम

सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बाँली जरिये सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर

किस्म प्रकरण- रिव्यू प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या:-31 / 2022

जीसीएमएस संख्या:- 2022 / 218

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न / ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
22.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रिव्यू प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रार्थी के विरुद्ध सहकारी भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर जरिये सचिव भूमि विकास बैंक के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 व 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी की बैंक के रहनशुदा खातेदारी भूमि को संबंधित बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत दिनांक 4.4.2018 को पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 30 / 2018 पर दर्ज किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.4.2018 को नोटिस जारी कर दिनांक 17.5.2018 को मुझ प्रार्थी की तामील होना मानकर अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 20.8.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 31.7.2019 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये है। उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की मुझ प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी ना ही प्रार्थी को कोई नोटिस प्राप्त हुए ओर ना ही प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया है। तामील कुन्दिदा की गलत तामील रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया है क्योंकि नोटिस पर प्रार्थी का अंगूठा निशानी नहीं है क्योंकि दिनांक 17.5.2018 को प्रार्थी गांव मे मौजूद ही नहीं था तो नोटिस कैसे ले सकता है। प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम रसूलपुरा की अपनी खातेदारी आराजी ख०न० 34,85,173,233,326 कुल किता 6 कुल रकबा 2.070 है० को बैंक के रहन रखकर 1.20लाख रुपये असल ऋण प्राप्त किया था जिसको मय ब्याज के अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या-30 / 2018 सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम हबूब मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.2019 पर पुनः विचार किये जाने बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की सुनवायी हेतु जारी नोटिस की गवाह के समक्ष विधिवत व्यक्तिशः तामील करवायी जाने के उपरान्त भी प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही के बाद भी कई अवसर दिये जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया तथा निर्णय के 3 वर्ष बाद रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं है यदि प्रार्थी को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.7.2019 से नाराजगी है तो सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>वकील उभय पक्षो को सुनने के पश्चात संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि प्रकरण का अन्तिम निर्णय दिनांक 31.7.2019 को हो चुका है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अकारण ही विलम्ब करने की रणनीति के तौर पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की विधिवत तामील करवायी गयी है उक्त तामील को न्यायालय द्वारा पूर्व मे अपने निर्णय दिनांक 31.7.2019 मे सही माना जा चुका है। प्रकरण संख्या 30 / 2018 की पत्रावली मे भी प्रार्थी को सुनवायी हेतु कई अवसर दिये जाने की पुष्टि हो जाती है एवं वकील प्रार्थी द्वारा भी यह माना गया है कि ऋण की राशि चुकाने के लिए उन्हे कई अवसर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया।</p>	<p align="right">  (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p> 